प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 17.10.2020
महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान ''मिशन शक्ति'' का 41वी वाहिनी पीएसी कमांडेंट महोदया ने किया का शुभारंभ

शासन के निर्देशों के क्रम महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराध (जैसे दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, चैन स्नैचिंग इत्यादि) घटनाओं के दृष्टिगत दिनांक 17.10.2020 से अगले 6 माह तक एक समग्र अभियान **''मिशन शक्ति''** चलाया जाएगा जिसका प्रथम चरण आगामी शारदीय नवरात्रि दिनांक 17.10.20 से 25.10.20 तक की अवधि में विशेष रूप से चलाया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम एवं अभियान को सफल बनाए जाने हेतु आज दिनांक 17.10.20 को शासन एंव पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी 41वी वाहिनी पीएससी गाजियाबाद कमांडेंट श्रीमती भारती सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड प्रभारियों/कर्मचारियों व महिला हेल्प डेस्क ऑफिसर के साथ गोष्ठी कर ब्रीफ किया गया तथा छात्राओं/महिलाओं के साथ घटित होने वाली अपराधो की रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

मिशन शक्ति का उद्देश्य-

जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों जैसे चौराहों, बाजारों, मॉल्स, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों, सौदों से मुक्त कराना है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे तथा महिलाओं एवं छात्राओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अश्लील प्रदर्शन एवं अभ्रद टिप्पणियां आदि घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्न कार्रवाई की जाएगी-

1- महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों के संबंध में आम जनमानस में सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करना है।

2- महिला संबंधी अपराधों (हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, पोक्सों एक्ट आदि में प्रकाश में आए अभियुक्तों तथा जेल से बाहर बाहर आए अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

3- इस अभियान में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों को शीघ्र सजा कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी तथा विवेचना को अल्पतम अवधि में पूर्ण कराया जाएगा।

4- जनपद के प्रत्येक थानों में गठित एंटी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त महिला पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास तथा मॉल्स, बाजार ऐसे स्थान जहां महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता हो, को भौतिक रूप से चयनित किया जाएगा। जहां सौदों एवं मंचलों के द्वारा छेडखानी इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती है, ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करते हुए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी एवं अनवरत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

5- प्रत्येक महिला महाविद्यालय, बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगाई जाएगी तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित प्रसारित कराया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को अमुक रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस संबंध में वे अपनी शिकायत शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं जिसमें शिकायतकर्ता का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में एक-दो बार थाने की महिला आरक्षी द्वारा खोला जाएगा और प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जा सके।

6- जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएं उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से काउंसलिंग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

7- सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गंभीरता व गुरुता के दृष्टिगत धारा 151, 110 दं0प्र0सं0 व धारा 294,354 भादवि तथा गुंडा एक्ट आदि सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत ठोस विधिक कार्रवाई तत्परता पूर्वक की जाएगी।

8- संबंधित क्षेत्राधिकारी/थानाप्रभारी द्वारा यथासंभव अपने क्षेत्र के संभ्रांत तथा पुलिस मित्र व्यक्तियों से संपर्क में रहते ऐसे व्यक्तियों एवं स्थलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें तथा एंटी रोमियो स्क्वायड के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका सतत अनुसरण किया जाएगा।

9- जनपद पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्व सौदों से मुक्त कराना है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना नहीं है।

10- जनपदीय पुलिस द्वारा ऐसा कोई व्यवहार कदापि नए किया जाएगा जिससे जनता में पुलिस की छवि धूमिल हो एवं जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक संदेश जाए।

11. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड अपने-अपने क्षेत्र के स्कूल, कालेजो के प्रधानाचार्यो से सम्पर्क में रहे तथा समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर स्कूल में आने वाले मनचलों के बारे में जानकारी करें।

12. बार-बार इस प्रकार की गतिविधियों में पाये जाने वाले शोहदो/मनचलों/असामाजिक तत्वों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें।

13. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड छोडछाड करने वाले के विरूद्ध कडी कार्यवाही करते हुए उसकी वीडियोग्राफी भी करें तथा उनके अभिभावकों को विश्वास में लेकर उसकी हरकतों से अवगत करायें।

14. यदि किसी युवक द्वारा किसी महिला/बालिका के साथ कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है अथवा कोई इशारा किया जाता है, तो युवक से पूछताछ करते हुए उसका नाम पता व मोबाइल नम्बर आदि नोट कर उसके परिजनों को बुलाया जाये तथा आवश्यकतानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाये।

15. प्रतिदिन उक्त टीम प्रातः 08.00 बजे से पूर्व ही अपनी ड्यूटी हेतु निकलना सुनिश्चित करे।

16. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड प्रतिदिन की कार्यवाही का एक रजिस्टर अपने साथ रखेंगे, जिससे पकडे गये/चेतावनी दिये गये युवको तथा चैक किये गये स्थानो आदि का विवरण नोट करेंगे।

17. एण्टी रोमियो स्क्वायड के पास एक छोटा कैमरा/मोबाइल फोन अपने पास अवश्य रखेंगे ताकि आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जा सके।

18- प्रतिदिन चैक किये गये स्थानो व कार्यवाही किये गये मनचलों के फोटो कैमरे/मोबाइल में लेकर उच्चाधिकारियों को वाट्स-एप्प के माध्यम से भेजेंगे। इसका उत्तरादायित्व प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड का होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आदि बिन्दुओ पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

....